भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 107

गुरूवार, 29 जनवरी, 2026/9 माघ, 1947 (शक)

अनुमानित बेरोजगारी दर

107. श्री बिकास रंजन भट्टाचार्य:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार रोज़गार और बेरोज़गारी के संबंध में डेटा स्रोत के आधार पर वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित बेरोज़गारी दर कितनी है**;**

(ख) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले असंगठित श्रमिकों को मिलने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है**;**

(ग) गिग श्रमिकों को नियमित करने या उनके नियमीकरण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है**;** और

(घ) देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या कितनी है और वर्ष 2023 से अब तक कितनी नौकरियाँ सृजित हुई हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी का डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 6.0% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है। इसके अलावा, 15-29 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 में 17.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 10.2% हो गई है।

इसके अतिरिक्त, नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 46.8% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 58.2% हो गया था। इसके अलावा, 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 31.4% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7% हो गया है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्लयू) बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) लॉन्च किया है जो आधार नंबर से जुड़ा हुआ है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य स्व-घोषणा के आधार पर असंगठित कामगारों को एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण करना और उन्हें सहायता प्रदान करना है। असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने के लिए वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में ई-श्रम विकसित करने की बजट घोषणा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम-"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" लॉन्च किया।

ई-श्रम कार्ड धारकों की सामाजिक सुरक्षा, बीमा अथवा कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच तथा लाभों के विस्तार हेतु अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं यथा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), आदि को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है।

उपरोक्त के अलावा, ई-श्रम रोजगार अवसरों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) और पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के कन्वर्जेंस पोर्टल से जुड़ा है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में 'गिग वर्कर्स' और 'प्लेटफॉर्म वर्कर्स' की परिभाषा और उससे संबंधित प्रावधान प्रदान किए गए हैं, जो 21.11.2025 को लागू हुई है।

यह संहिता, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने का प्रावधान करती है। इस संहिता में इन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का प्रावधान है।

*****